उ0प्र0आलूविकासनीति-2014 के मुख्य बिन्दु।

- आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त आलू बीज उत्पादन कराने के उद्देश्य से बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान(सी.पी. आर.आई.), भारत सरकार, शिमला से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त कर राजकीय शीतगृहों में भण्डारित कराना एवं भण्डारित आलू बीज को राजकीय प्रक्षेत्रों पर आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बुआई कराकर अग्रेतर आधारित प्रथम श्रेणी के आलू बीज का उत्पादन।
- उत्पादित आधारित श्रेणी के आलू बीज का राजकीय शीतगृहों में भण्डारण करना एवं आगामी रवी सत्र में कृषकों को अग्रेतर आधारित द्वितीय एवं प्रमाणित श्रेणी के आलू बीज उत्पादन हेतु आलू बीज का वितरण करना।
- आलू बीजश्रृंखला के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर अग्रेतर श्रेणियों में रोग रहित आलू बीज का उत्पादन कराना एवं उत्पादित आलू बीज को चिन्हित शीतगृहों में भण्डारित करना।
- भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय औद्यानिक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान(एन.एच.आर.डी.एफ.), नासिक के माध्यम से कृषकों द्वारा उत्पादित प्रमाणित टैग्ड आलू बीज को क्रय करने की व्यवस्था करना।
- शीतगृहों में माह मार्च/अप्रैल में आलू का भण्डारण एवं माह अक्टूबर/नवम्बर में आलू की निकासी की सुचारू व्यवस्था करना।
- प्रदेश में गुणवत्तायुक्त आलू उत्पादन के उद्देश्य से आलू क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण करने हेतु आधुनिक तकनीकी/सुविधाओं से युक्त बहुद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना के द्वारा भण्डारण क्षमता का विकास करना।
- प्रदेश में आलू विकास एवं आलू की खेती में तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षताविकास हेतु प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना।
- बाजार विकास एवं प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आलू विकास के क्षेत्र में कृषकों, व्यापारियों के मध्य सीधे सम्वाद के लिए बॉयरसेलरमीट आयोजित कर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की सीापना को प्रोत्साहित करना।
- उ0प्र0 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर पोटैटो की स्थापना करना।

उ0प्र0आलूविकासनीति-2014 के अन्तर्गतअनुदानव्यवस्था।

- उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणनसंघ(हाफेड) द्वारा आलू प्रर्दशनी एवं एक दिवसीय बॉयरसेलर-मीट के आयोजन हेतु रु0 03.00 लाख की व्यवस्था।
- एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग सेन्टर की अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रु0 06.00 लाख अनुदान की व्यवस्था।
- उ0प्र0राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा ''ताजब्राण्ड'' के आलू निर्यातपर रु0 50/-प्रतिकुन्टल बाण्ड प्रमोशन एवं रु0 200/-प्रतिकुन्टल परिवहन अनुदान की व्यवस्था।
- गुणवत्ता नियन्त्रण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला की सीापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में रु0 200 लाख एवं निजी क्षेत्र में यूनिटमूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 100 लाख अनुदान की व्यवस्था।
- एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत आलू बीज उत्पादन हेतु उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु0 12250 प्रतिहेक्टैयर की दर से अनुदान की व्यवस्था।
- आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादनपर रु0 10,000 प्रति हैक्टेयर अथवा उत्पादन लागत का 20 प्रतिशत अनुदान व्यवस्था।
- इसके अतिरिक्त उ0प्र0 आलू खाद्य प्रसंस्करण नीति-2012 में प्रसंस्करण उद्योगों की सीापना पर अनुमन्य अनुदान की व्यवस्था यथावत लागू है:
  - नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के सीापना में प्लान्ट, मशीनरी एवं अन्य उपकरणों के पूंजी निवेश हेतु पर बैंक ऋण के ब्याजपर 7 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रु0 प्रतिवर्ष, 5 वर्षों तक प्रति पूर्ति की व्यवस्था।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्डस्टोरेज एवं भण्डारगृह की स्थापना एवं विस्तार हेतु स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतया मुक्त रखने की व्यवस्था।
  - निर्यात ओरियेन्टेड शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के प्रयोग हेतु नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को मण्डी शुल्क एवं अधिभार से 10 वर्ष तक शतप्रतिशत छूट की व्यवस्था।
  - नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, जिसमें 5 करोड़ अथवा इससे अधिक प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय करने वाली इकाइ ंकोमण्डी शुल्क से 5 वर्ष तक पूर्णतया मुक्त रखने की व्यवस्था।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तारहेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत प्लान्ट, मशीनरी तकनीकी सिविल वर्क

हेतु लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50 लाख अनुदान की व्यवस्था।

- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत औद्यानिक/गैरऔद्यानिक उत्पादों के परिवहन हेतु रिफर वेन के क्रय करने तथा प्लान्ट, मशीनरी, तकनीकी सिविल वर्क हेतु लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 50 लाख अनुदान की व्यवस्था।
- बागवानी के समन्वित विकास मिशन के अन्तर्गत बहु उद्देशीय/ बहुकक्षीय आधुनिक शीतगृह की सीापना हेतु प्लान्ट, मशीनरी, तकनीकी सिविल वर्क हेतु लागत मूल्य का 35 प्रतिशत (रु0 8000 प्रतिमी0टन)अधिकतम रु0 140 लाख अनुदान की व्यवस्था।